

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर



कार्यालय आदेश

भा.मि.

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जाये।

क्र.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	गायत्री शर्मा प्रधानाचार्य राउमावि फालियावास, बस्सी जयपुर	जनवरी 2021	राउमावि कमडिया, जायल, नागौर
2	नरेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य राउमावि बादूसर, लक्ष्मणगढ़, सीकर	मार्च 2020 का आस्थगित व अगस्त 2020 से फरवरी 2021	राउमावि वेदू, बापिणी, जोधपुर
3	सुभाष चन्द्र गोंयल प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, वानसूर, अलवर	दिनांक 01.10.2020 से 18.10.2020 तक	राउमावि अमरथून, वांसवाडा
4	वेद प्रकाश आदित्य प्रधानाचार्य राउमावि नोरंगपुरा, झुंझुनूं	जनवरी 2021 से फरवरी 2021	राउमावि छोटी छापरी, मौलासर, नागौर
5	लीलाधर प्रधानाध्यापक रामावि आंतरोली, लक्ष्मणगढ़, सीकर	जनवरी 2021 से लगातार	रामावि चारण का वास, लक्ष्मणगढ़, सीकर
6	भागीरथ मल प्रधानाध्यापक रामावि डोलास, लक्ष्मणगढ़, सीकर	मार्च 20221 से लगातार	रामावि जलालसर, फतेहपुर, सीकर
7	रुडा राम प्रधानाध्यापक, रामावि सिद्धेश्वर, सांचौर, जालौर	मार्च 2021 से लगातार	रामावि गलीफा, चितलवाना, जालौर

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे। क्र.सं 5 से 7 पर अंकित अधिकारियों का कॉलम संख्या 3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 4 में अंकित विद्यालय से आगामी आदेश तक /वेतन आहरित किये जाने वाले विद्यालय में प्रधानाध्यापक-मावि के कार्यग्रहण पर/पद स्वीकृत होने तक (जो भी पहले हो) आहरित किया जावे।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक ।
- 6 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 7 सम्बंधित कार्मिक /संस्था प्रधान को पालनार्थ ।
- 8 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

15*

कार्यालय-आदेश

भीम

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021 दिनांक 31.05.2021 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि के संबंध में जारी वेतन आहरण आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्द्वारा किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वेतन अवधि	संशोधन
1	2.	3	4
1	मणिकान्त जोशी प्रधानाध्यापक रामावि बिरडावास, लूणी, जोधपुर	जनवरी 2021 से लगातार	वेतन व्यवस्था आदेश दिनांक 31.05.2021 में क्र.सं 03 पर अंकित कार्मिक के संबंध में कार्मिक का पदस्थापन स्थान रामावि देवान रोहट, पाली के स्थान पर रामावि बिरडावास, लूणी जोधपुर पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1, 2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021 दिनांक 11.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 6 संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान
- 7 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक-कार्मिक

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर



कार्यालय आदेश

भीमे

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि स्तर के शिक्षा अधिकारी का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्रं.सं.	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान (सर्व स्त्री / स्त्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	श्री देवेन्द्र यादव प्रधानाचार्य राउमावि कांकरदोपा, बहरोड, अलवर।	जुलाई 2017 से जनवरी 2018	राउमावि खोडालीम,(223931) गांगडतलाई, बांसवाडा

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1.2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/2021/ दिनांक:-11.06.2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर /उदयपुर ।
- 4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर/बांसवाडा।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक अलवर/बांसवाडा।
- 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बहरोड(अलवर)/गांगडतलाई(बांसवाडा) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रकरण तत्काल निस्तारित करावे।
- 7 सहायक निदेशक, विधि कार्यालय हाजा को पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-4/नोटिस/29520/21/02 दिनांक 12.04.2021 के क्रम में सूचनार्थ
- 8 सम्बन्धित कार्मिक देवेन्द्र यादव/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 9 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)